



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-मीरजापुर,  
पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
फतहॉ, मीरजापुर

पत्रांक ५२० वि०वि०ख०(मी०)/

दिनांक २१/०१/२५

विषय:- पी०जी० पोर्टल सन्दर्भ सं० 60000250009827 के सम्बन्ध में।

श्री लोकनाथ यादव पुत्र श्री अवधराज यादव  
निवासी ग्राम-दुगौली, पो०-दुगौली,  
तहसील-सदर, थाना-जिगना,  
जिला-मीरजापुर।

आप द्वारा पी०जी० पोर्टल सन्दर्भ सं० 60000250009827 के माध्यम से की गई शिकायत के सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि आपके परिसर की जाँच सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 26.10.2024 को किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि आप द्वारा अपने परिसर पर दो कोर की काले रंग की केबल खींचकर 1.526 किलोवाट (एल०एम०वी०-1) विधा में बिना संयोजन स्वीकृत कराये अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते हुये पाये गये। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत एण्टी पावर थेफ्ट थाने में विद्युत चोरी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जिसका प्रोविजनल राजस्व निर्धारण रु० 110880.00 एवं समन शुल्क रु० 8000.00 कुल रु० 118880.00 है। जहाँ तक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र में संयोजन सं० 6319562000 की बात की गई है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संयोजन श्री तारक नाथ यादव के नाम से स्वीकृत है। जिस पर वर्तमान में बकाया विद्युत बिल रु० 4,68,332.00 है।


अतः यदि शिकायतकर्ता को उक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो कार्यालय के किसी भी कार्य दिवस में अपना प्रत्यावेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे विभागीय नियमानुसार कार्यवाही किया जा सके।

सूचनार्थ प्रेषित।

  
(मनीष कुमार श्रीवास्तव)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:- /वि०वि०ख०(मी०)/ तददिनांक  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मीरजापुर।

  
(मनीष कुमार श्रीवास्तव)  
अधिशासी अभियन्ता



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-मीरजापुर,  
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,  
फतहॉ, मीरजापुर

पत्रांक /63 वि0वि0ख0(मी0)/

दिनांक 09/01/25

विषय:- पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ सं0 60000240253849 के सम्बन्ध में।

श्री लोकनाथ यादव पुत्र श्री अवधराज यादव  
निवासी ग्राम-दुगौली, पो0-दुगौली,  
तहसील-सदर, थाना-जिगना,  
जिला-मीरजापुर।

आप द्वारा पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ सं0 60000240253849 के माध्यम से की गई शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके परिसर की जाँच सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 26.10.2024 को किया गया। जाँचोपरान्त पाया गया कि आप द्वारा अपने परिसर पर दो कोर की काले रंग की केबल खींचकर 1.526 किलोवाट (एल0एम0वी0-1) विधा में बिना संयोजन स्वीकृत कराये अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करते हुये पाये गये। जिसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत एण्टी पावर थेफ्ट थाने में विद्युत चोरी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। जिसका प्रोविजनल राजस्व निर्धारण रु0 110880.00 एवं समन शुल्क रु0 8000.00 कुल रु0 118880.00 है। यदि शिकायतकर्ता के पास विद्युत संयोजन से सम्बन्धित कोई भी कागजात/प्रपत्र हो तो अधोहस्ताक्षरी/सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे विभागीय नियमानुसार कार्यवाही किया जा सके। जहाँ तक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र में संयोजन सं0 6319562000 की बात की गई है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संयोजन श्री तारक नाथ यादव के नाम से स्वीकृत है। जिस पर वर्तमान में बकाया विद्युत बिल रु0 4,68,332.00 है।

सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार श्रीवास्तव)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:- /वि0वि0ख0(मी0)/ तददिनांक  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मीरजापुर।

(मनीष कुमार श्रीवास्तव)  
अधिशासी अभियन्ता